तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **F.S.S.Act Case No. 03/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
30–6–2025	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (संजय पुत्र जीवाराम जी चौधरी, मैनेजर, मैसर्स न्युबंशी काठीयावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी, आबूरोड, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या 2 (श्री दलपत सिंह देवड़ा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैससे न्यु बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11–8–2024 को मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर संजय पुत्र जीवाराम जी चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2382 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1192/Act/2024/1234 दिनांक 23–8–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 25–6–2025 को प्रतिवादी संख्या 2 (दलपत सिंह देवड़ा) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 (संजय पुत्र जीवाराम जी चौधरी) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 (दलपत सिंह देवडा) को दिनांक 25–6–2025 को ही सुना गया, जिन्होनें जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उनके द्वारा विक्रय करने हेतु जयदीप किराणा स्टोर, मांउन्ट आबू रोड़, तलेटी, आबूरोड़ से पनीर खरीद किया था एवं इस खरीद किये पनीर में मेरे द्वारा कोई मिलावट नही की गई है, मेरे द्वारा खरीद किये गये पनीर का यथास्थिति नमूना लिया गया है, इसमें मेरी कोई गलती नही है। पनीर का निर्माण मेरे द्वारा या मेरी होटल में नही किया गया है। अतः मेरे विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11–8–2024 को 11–30 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मैनेजर की हैसियसत से प्रतिवादी संयज पुत्र जीवाराम जी चौधरी उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स न्यु बंशी काठीयावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान होटल में निर्माण सामग्री स्थल पर आम जन के लिये खाद्य सामग्री निर्माण कर बिक्री हेतु 03 किलोग्राम पनीर ......लगातार	

न्यायालय प्रा० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

प्र०. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स** **F.S.S.Act Case No. 03/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर प्रतिवादी मैनेजर संयज पुत्र जीवाराम चौधरी को गवाह मनीषपाल, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के अन्दर खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर रखे हुए 3 किलोग्राम पनीर में से 800 ग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी मैनेजर संयज पुत्र जीवाराम जी चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2382, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर का नाम आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी मैनेजर/विक्रेता संजय पुत्र जीवाराम जी चौधरी व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने प्रतिवादी मैनेजर/विक्रेता व गवाह को चार साफ, सूखी, प्लास्टिक की खाली शीशीयों को दिखाकर खरीदशुदा पनीर को चारों शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर चारों शीशीयों को अलग अलग ढ़क्कन से एटयटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2382 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी मैनेजर व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी मैनेजर एवं गवाह एवं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री सिद्धार्थ तोमर, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 13-8-2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित ......लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स F.S.S.Act Case No. 03/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलम जारी हुए

अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी, आबूरोड़ में प्रतिवादी मैनेजर संयज पुत्र जीवाराम जी चौधरी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2382 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1192/Act/2024/1234 दिनांक 23–8–2024 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2382 अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अलवोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी से जिस खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जांच हेतु खरीदा है, वह पैक्ड अवस्था में नही होकर होटल में खाद्य सामग्री बनाने हेतु लूज अवस्था में रखा हुआ था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़ तलेहटी, आबूरोड़ के प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या 2 (दलपत सिंह देवड़ा) है एवं प्रतिवादी संजय पुत्र जीवाराम जी चौधरी, उक्त होटल में नौकरी करता है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 (दलपत सिंह देवड़ा) की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर संजय द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्री दलपत सिंह देवड़ा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दलपत सिंह देवड़ा, खाद्य प्रोपराईटर, मैसर्स न्यू बंशी काठियावाडी होटल, माउन्ट आबू रोड़, तलेहटी, आबूरोड़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में निर्णय की तारीख से 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी चन्द्रप्रकाश को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 05–8–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)